NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 2-09-2024

विषय सूची

राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया

भारत-पाकिस्तान संबंध

झूठ डिटेक्टर परीक्षणों की कानूनी वैधता

खाद्य तेलों पर नीति आयोग की रिपोर्ट

यूरोपीय संघ के 2030 उत्सर्जन लक्ष्य पेरिस समझौते के 1.5°C लक्ष्य से 'खतरनाक रूप से पीछे'

एंजाइम विनिर्माण से इथेनॉल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा

संक्षिप्त समाचार

म्यूनिख समझौता

नामिबिया

भारत में 1901 के बाद सबसे गर्म अगस्त दर्ज किया गया

दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024

वधवान बंदरगाह

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का नियम 170

राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायलय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया

सन्दर्भ

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायलय की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर उसके नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया।

परिचय

- झंडे पर अशोक चक्र, उच्चतम न्यायलय की इमारत और भारत के संविधान की किताब अंकित है।
- उच्चतम न्यायलय का नया झंडा नीले रंग का है। प्रतीक चिन्ह पर 'भारत का उच्चतम न्यायालय' और 'यतो धर्मस्ततो जयः' (देवनागरी लिपि में) लिखा हुआ है।
    - "यतो धर्मस्ततो जयः" वाक्यांश एक संस्कृत अभिव्यक्ति है जिसका अनुवाद है "जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है" या "विजय वहीं है जहाँ धर्म (धार्मिकता) प्रबल है।" अशोक चक्र धर्मचक्र या "कानून के पहिये" का प्रतिनिधित्व करता है।
    - यह प्रतीक सारनाथ सिंह स्तंभ से प्रेरित है, जिसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था।

भारत के उच्चतम न्यायालय (SC) की स्थापना

- संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि "भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा।"
- 28 जनवरी 1950 को, भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन पश्चात्, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया।
- भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान भवन का उद्घाटन किया।
- 1950 के मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीशों के साथ एक उच्चतम न्यायालय की परिकल्पना की गई थी - इस संख्या में वृद्धि का कार्य संसद पर निर्भर करता है।
    - कार्यभार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 से बढ़ाकर 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 (वर्तमान संख्या) कर दी।

- **उच्चतम न्यायालय अधिकारी और सेवक (सेवा की शर्तें और आचरण) नियम, 1961** में भारत के उच्चतम न्यायालय से संबद्ध कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और आचरण के संबंध में नियम सम्मिलित हैं।

माँ और बच्चे की मूर्ति

- 1978 में उच्चतम न्यायलय के लॉन में 210 सेंटीमीटर ऊंची एक काली कांस्य मूर्ति स्थापित की गई थी।
- इसमें भारत माता को एक महिला के रूप में दर्शाया गया है।
- महिला एक बच्चे के प्रतीक द्वारा दर्शाए गए युवा भारत गणराज्य को आश्रय दे रही है, जो प्रतीकात्मक रूप से एक खुली किताब के रूप में दिखाए गए देश के कानूनों को स्थिर रख रहा है।
- पुस्तक में, एक संतुलन दर्शाया गया है, जो सभी को समान न्याय प्रदान करने का प्रतिनिधित्व करता है। मूर्ति को प्रसिद्ध कलाकार श्री चिंतामणि कर ने बनाया था।

भारत में न्यायपालिका पर संक्षिप्त जानकारी

- उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके पास संविधान की व्याख्या करने, राज्यों और केंद्र के बीच विवादों का निपटारा करने और कानूनों और सरकारी कार्रवाइयों की वैधता की निगरानी करने का अधिकार है।
- प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह में एक उच्च न्यायालय होता है, जो निचली अदालतों से अपील और राज्य-स्तरीय कानूनी मामलों से संबंधित मुद्दों को संभालता है।
- जिला न्यायालय जिला स्तर पर दीवानी और आपराधिक मामलों को संभालते हैं, और विभिन्न विशेष अदालतें जैसे पारिवारिक न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय और श्रम न्यायालय।
- प्रत्येक शाखा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन दूसरों के साथ सामंजस्य में कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो निष्पक्ष शासन और संविधान के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जाँच और संतुलन की एक प्रणाली प्रदान करती है।

भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख कार्य:

- **न्यायिक समीक्षा:** यह कानूनों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करता है। यदि कोई कानून या कार्रवाई संविधान का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है।
- **मूल अधिकार क्षेत्र:** इसमें कुछ प्रकार के मामलों की सीधे सुनवाई करने का अधिकार है, जिसमें राज्यों के बीच या केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विवाद सम्मिलित हैं। इसे मूल अधिकार क्षेत्र कहा जाता है।

- **अपीलीय अधिकार क्षेत्र:** यह निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों की अपीलों की सुनवाई करता है। इसमें सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामले सम्मिलित हैं।
    - उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों द्वारा लिए गए निर्णयों को पलट सकता है या संशोधित कर सकता है।
- **संवैधानिक व्याख्या:** यह संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करता है।
    - यह कार्य संवैधानिक सिद्धांतों के अर्थ और अनुप्रयोग को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **मौलिक अधिकारों का संरक्षण:** यह संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **सलाहकार क्षेत्राधिकार:** भारत के राष्ट्रपति कानूनी या संवैधानिक प्रश्नों पर न्यायालय की राय ले सकते हैं।
    - यद्यपि न्यायालय की सलाह बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यह अत्यधिक प्रभावशाली है।
- **न्यायिक प्रशासन:** यह निचली अदालतों की कार्यपद्धति की देख-रेख करता है और उनके संचालन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में भी भूमिका निभाता है।
- **जनहित याचिका (PIL):** न्यायालय जनहित याचिकाओं पर विचार करता है, जिससे व्यक्तियों या समूहों को सामान्य जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए न्यायिक समाधान की मांग करने की अनुमति मिलती है।

Source: PIB

भारत-पाकिस्तान संबंध

सन्दर्भ

- सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) के एक नए सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध भविष्य में बेहतर होने की संभावना नहीं है।

परिचय

- सर्वेक्षण में 2016 से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में आई गिरावट को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जिसके बाद से कोई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है।
- 2011 और 2013 में किए गए पिछले सर्वेक्षणों ने उपमहाद्वीप में सुलह के लिए बहुत अधिक आशावाद का संकेत दिया था।

भारत-पाकिस्तान संबंधों पर संक्षिप्त जानकारी

- भारत-पाकिस्तान संबंध जटिल हैं और 1947 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् से इनमें तनाव, संघर्ष तथा यदा-कदा सहयोग के दौर आते रहे हैं।

समय

- **विभाजन और प्रारंभिक संघर्ष:** 1947 में ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन होने के कारण बड़े पैमाने पर पलायन और हिंसा हुई।

- पहला बड़ा संघर्ष जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र को लेकर प्रथम कश्मीर युद्ध (1947-48) के साथ हुआ।

- **युद्ध और संघर्ष:** दोनों देशों के बीच तीन बड़े युद्ध लड़े गए:
  - **1965 का युद्ध:** कश्मीर पर एक संघर्ष, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम हुआ।
  - **1971 का युद्ध:** एक क्रूर संघर्ष के पश्चात् बांग्लादेश (पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान) की स्वतंत्रता हुई।
  - **1999 कारगिल संघर्ष:** कश्मीर के कारगिल जिले में एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष जिसमें भारत विजयी हुआ।
- **परमाणुकरण:** दोनों देशों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए, इससे रणनीतिक गणना में एक नया आयाम जुड़ गया है।
- **शांति प्रयास और संवाद:** आगरा शिखर सम्मेलन (2001) और लाहौर शिखर सम्मेलन (1999) सहित संवाद और शांति-निर्माण के विभिन्न प्रयास हुए हैं।
  - हालाँकि, आतंकवाद और पाकिस्तान द्वारा सीमा पार हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों के कारण प्रगति प्रायः बाधित रही है।
- **आतंकवाद और सुरक्षा मुद्दे:** 2001 में भारतीय संसद पर आक्रमण और 2008 में मुंबई पर हुए हमलों ने संबंधों को काफी तनावपूर्ण बना दिया है।
  - पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) पर भारत में विभिन्न आतंकवादी आक्रमणों में भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है।
- **पुलवामा आक्रमण :** फरवरी 2019 में कश्मीर के पुलवामा में भारतीय अर्धसैनिक बलों के काफिले पर हुए आक्रमणों में कम से कम चालीस जवान शहीद हो गए।
  - पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किया गया यह आक्रमण कश्मीर में तीन दशकों में हुआ सबसे घातक आक्रमण था। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों पर हवाई आक्रमण किया।
- **वर्तमान स्थिति:** संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, छिटपुट बातचीत और सामान्यीकरण के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर विवाद, सीमा पार आतंकवाद और राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दे अभी भी संबंधों पर भारी हैं।

सहयोग के क्षेत्र

- **सिंधु जल संधि:** 1960 में स्थापित यह संधि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपयोग को नियंत्रित करती है।
  - चल रहे विवादों के बावजूद, यह दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के प्रबंधन में काफी सीमा तक सफल रहा है।
- **करतारपुर कॉरिडोर समझौता (2019):** तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौते पर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि तीर्थयात्रियों की पवित्र गुरुद्वारा तक सुलभ और सुचारू पहुँच की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सके।

- **क्रिकेट:** भारत और पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच प्रायः व्यापक ध्यान आकर्षित करते हैं और कभी-कभी तनाव कम करने और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
- **द्विपक्षीय वार्ता:** समय-समय पर होने वाली कूटनीतिक वार्ता और शिखर सम्मेलन, अपने उतार-चढ़ाव के बावजूद, विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और साझा आधार खोजने के लिए मंच उपलब्ध कराना।
- **शांति समझौते:** शिमला समझौता (1972), लाहौर शिखर सम्मेलन घोषणा (1999), आगरा शिखर सम्मेलन (2001) दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित प्रमुख शांति स्थापित करने वाले समझौते हैं।

आगे की राह

- दोनों देशों के सामने विभिन्न आंतरिक और बाहरी चुनौतियाँ हैं, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती हैं।
- अपनी "पड़ोसी पहले नीति" के अनुरूप, भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है।
- भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा और भारत की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय अखंडता को कमज़ोर करने के सभी प्रयासों से निपटने के लिए दृढ़ और निर्णायक कदम उठाएगा।

Source: TH

झूठ डिटेक्टर परीक्षणों की कानूनी वैधता

सन्दर्भ

- केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़े सात लोगों पर पॉलीग्राफ परीक्षण का दूसरा दौर आयोजित किया।

झूठ डिटेक्टर परीक्षण क्या हैं?

- झूठ डिटेक्टर परीक्षण (DDTs) पूछताछ के दौरान संभावित झूठ का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक प्रक्रियाएँ हैं।
- इन परीक्षणों में नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ़ परीक्षण और ब्रेन मैपिंग शामिल हैं।

पॉलीग्राफ परीक्षण

- पॉलीग्राफ परिक्षण इस धारणा पर संचालित होता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो विशिष्ट शारीरिक प्रतिक्रियाएँ शुरू हो जाती हैं।
- यह परीक्षण संदिग्ध व्यक्ति के शरीर में कार्डियो-कफ़ या संवेदनशील इलेक्ट्रोड जैसे उपकरण लगाकर किया जाता है, ताकि रक्तचाप, गैल्वेनिक त्वचा प्रतिक्रिया (पसीने के लिए एक प्रॉक्सी), श्वास और नाड़ी दर जैसे चरों को मापा जा सके।
- जैसे-जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक शारीरिक प्रतिक्रिया को एक संख्यात्मक मान दिया जाता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ है।

नारको विश्लेषण

- इसमें आरोपी को सोडियम पेंटोथल नामक दवा का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वह सम्मोहन या बेहोशी की अवस्था में आ जाता है।
- मान्यता यह है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति कम संकोची होता है और जानकारी देने की अधिक संभावना होती है।
    - क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दवा व्यक्ति के झूठ बोलने के संकल्प को कमजोर कर देती है, इसलिए इसे प्रायः "सत्य सीरम" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

मस्तिष्क मानचित्रण

- यह चेहरे और गर्दन से जुड़े इलेक्ट्रोड का उपयोग करके व्यक्ति की तंत्रिका गतिविधि, विशेष रूप से मस्तिष्क तरंगों को मापता है।
- यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि मस्तिष्क किसी छवि या ध्वनि जैसे परिचित उत्तेजनाओं के संपर्क में आने पर विशिष्ट मस्तिष्क तरंगें उत्पन्न करता है।

परीक्षण की विधिक वैधता

- 2010 से पहले, भारतीय न्यायालय इन परीक्षणों के पक्ष में थे। उन्होंने इन "वैज्ञानिक जांच विधियों" को हिरासत में हिंसा के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका प्रयोग प्रायः जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
  2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत आत्म-दोष के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अनुसार "आरोपी की सहमति के आधार पर" कोई भी झूठ डिटेक्टर परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए।
  इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया गया कि किसी व्यक्ति का बयान देने या चुप रहने का अधिकार उसकी निजता के अधिकार का अभिन्न अंग है।
    - इस प्रकार किसी व्यक्ति को बयान देने के लिए बाध्य करना भी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तर्क को पुष्ट करने के लिए बहुत कम अनुभवजन्य साक्ष्य उपस्थित हैं कि ये परीक्षण जांचकर्ताओं के लिए विश्वसनीय स्रोत प्रदान करते हैं।
- न्यायालय ने चेतावनी दी कि इन परीक्षणों के परिणामों को स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता।
    - हालाँकि, यदि बाद में "स्वैच्छिक रूप से प्रशासित परीक्षण परिणामों की सहायता से" कोई जानकारी या सामग्री खोजी जाती है, तो ऐसे साक्ष्य को न्यायालय में स्वीकार किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, यह भी आवश्यक था कि विषय की सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष औपचारिक रूप से दर्ज की जाए और इन परीक्षणों के संचालन के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 2000 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

चिंताएं क्या हैं?

- इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित 2010 के एक शोधपत्र में, यह देखा गया कि झूठ का पता लगाने वाली तकनीकों को अनेक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, और "वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में छिपा हुआ ज्ञान" को प्रकट करने में उनकी प्रभावशीलता अनिश्चित बनी हुई है।
- इसने पॉलीग्राफ़ परीक्षणों की विश्वसनीयता पर तर्क दिया, यह इंगित करते हुए कि परीक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है - हृदय गति और रक्तचाप जैसे पैरामीटर झूठ बोलने का एकमात्र संकेत सिद्ध नहीं हुए हैं।
- इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए 2019 के एक अध्ययन ने उच्च झूठी सकारात्मक दरों को चिह्नित किया और कहा कि व्यक्ति पॉलीग्राफ़ को मात देने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं।
- उच्चतम न्यायलय के चेतावनी देने के बावजूद, भारत में इन परीक्षणों का प्रशासन अभी भी प्रचलित है।

Source: TH

खाद्य तेलों पर नीति आयोग की रिपोर्ट

संदर्भ

- नीति आयोग द्वारा "आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर खाद्य तेलों में वृद्धि को गति देने के लिए मार्ग और रणनीतियां" शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- भारत का खाद्य वनस्पति तेल क्षेत्र वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील के बाद चौथे स्थान पर है।
- भारत में सात प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य हैं अर्थात राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।

Table 2.2: India's position in the global edible oil production market (2022-23)

Edible Oil Crop	India's Rank	Share in world production (%)	Next to
Groundnuts, excluding shelled	2nd	18.69	China
Groundnut Oil	2nd	16.34	China (2021)
Soybean	5th	3.72	Brazil, USA, Argentina, China
Soybean Oil	5th	2.14	China, USA, Brazil, Argentina (2021)
Castor Seed	1st	88.48	NA
Rapeseed	3rd	13.72	Canada, China
Rapeseed or Canola Oil	4th	11.21	Canada, Germany, China (2021)
Safflower	5th	6.15	Kazakhstan, Russia, USA, Mexico
Safflower Seed Oil, Crude	2nd	18.43	USA (2021)
Sesame Seed	2nd	11.70	Sudan
Sesame Seed Oil	3rd	8.73	China, Myanmar (2021)
Linseed	5th	3.18	Russia, Kazakhstan, Canada, China
Linseed Oil	6th	5.03	China, Belgium, USA, Germany, Russia (2021)
Rice bran oil	1st	46.8	NA
Cotton seed oil	2nd	28.41	China
Coconuts, in shell	3rd	22.46	Indonesia, Philippines
Coconut oil	3rd	14.20	Indonesia, Philippines

- **मांग:** रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले दशकों में देश में खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि हुई है, जो 19.7 किलोग्राम/वर्ष तक पहुंच गई है।
    - मांग में यह वृद्धि घरेलू उत्पादन से बहुतआगे निकल गई है, जिसके कारण घरेलू और औद्योगिक दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर भारी निर्भरता बढ़ गई है।
- **आयात:** 2022-23 में, भारत ने 16.5 मिलियन टन (MT) खाद्य तेलों का आयात किया, जिसमें घरेलू उत्पादन देश की आवश्यकताओं का केवल 40-45% ही पूरा कर पाया।
    - यह स्थिति खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के देश के लक्ष्य के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है।
- सामान्य व्यवसाय (BAU) परिदृश्य के अंतर्गत, खाद्य तेल की राष्ट्रीय आपूर्ति 2030 तक 16 मीट्रिक टन और 2047 तक 26.7 मीट्रिक टन तक बढ़ने का अनुमान है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP):** यह मिशन 2025-26 तक ऑयल पाम की खेती को बढ़ाने और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- तिलहन (NFSM-OS) को सरकार द्वारा 2018-19 से लागू किया जा रहा है, ताकि खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और तिलहनों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करके एवं ऑयल पाम तथा वृक्ष जनित तिलहनों के क्षेत्र विस्तार के माध्यम से आयात के भार को कम किया जा सके।
- सरकार ने तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की।

सुझाव

- इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, रिपोर्ट में वर्तमान अंतर को समाप्त करने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतिक हस्तक्षेपों का सुझाव दिया गया है।
- प्रस्तावित रणनीति तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:
    - **फसल प्रतिधारण और विविधीकरण,**
    - **क्षैतिज विस्तार:** रणनीति का उद्देश्य खाद्य तेल फसलों की खेती के लिए समर्पित क्षेत्र को रणनीतिक रूप से बढ़ाना है। संभावित रास्तों में चावल की परती भूमि और अत्यधिक उपयुक्त बंजर भूमि का उपयोग सम्मिलित है।
    - **ऊर्ध्वाधर विस्तार:** रणनीति वर्तमान तिलहन खेती की उपज बढ़ाने पर केंद्रित है। इसे बेहतर कृषि पद्धतियों, बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों और उन्नत उत्पादन तकनीकों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

Source: PIB

यूरोपीय संघ के 2030 उत्सर्जन लक्ष्य पेरिस समझौते के 1.5°C लक्ष्य से 'खतरनाक रूप से पीछे'

सन्दर्भ

- हाल ही में, यूरोप में गैर-लाभकारी समूहों ने यूरोपीय आयोग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यूरोपीय संघ (EU) के 2030 उत्सर्जन लक्ष्य पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से कम पड़ रहे हैं।

पेरिस समझौते (2015) के बारे में

- इसे 2015 में पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP21) के दौरान अपनाया गया था।
- यह वैश्विक तपन की तत्काल चुनौती से निपटने के लिए 196 दलों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

तापमान लक्ष्य

- पेरिस समझौते का व्यापक लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से भी कम पर सीमित करना है।
- इसके अतिरिक्त, तापमान वृद्धि को अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक सीमित करने के प्रयासों पर बल दिया गया है: पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5°C ऊपर।
- 1.5°C पर ध्यान क्यों: जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि 1.5°C की सीमा पार करने से गंभीर जलवायु प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें अधिक लगातार और तीव्र सूखा, हीटवेव और अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ सम्मिलित हैं।

उत्सर्जन में कमी

- NDCs में शमन (उत्सर्जन में कमी) और अनुकूलन उपायों दोनों की रूपरेखा दी गई है।
- देशों को समय के साथ अपने NDCs की महत्वाकांक्षा को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

दीर्घकालिक रणनीतियाँ

- पेरिस समझौता देशों को दीर्घकालिक कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियों (LT-LEDS) को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है।
- हालांकि अनिवार्य नहीं है, ये LT-LEDS भविष्य के विकास के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और NDCs के साथ संरेखित होते हैं।

वैश्विक सहयोग और समर्थन

- यह समझौता देशों को वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण सहायता के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है।
- विकसित राष्ट्र विकासशील देशों को उनके जलवायु प्रयासों में सहायता करने का वचन देते हैं।

पांच-वर्षीय समीक्षा चक्र

- पेरिस समझौता पांच वर्ष के चक्र पर संचालित होता है।
- देश समय-समय पर अपने NDCs को अद्यतन करते रहते हैं तथा प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।

यूरोपीय संघ के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **अपर्याप्त लक्ष्य:** CAN-यूरोप और GLAN का तर्क है कि यूरोपीय संघ के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य, वैश्विक तापमान को 1.5°C तक सीमित रखने के पेरिस समझौते के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।
    - यह पहली बार है जब यूरोपीय संघ के न्यायलय यूरोपीय संघ के जलवायु लक्ष्यों की पर्याप्तता की जांच करेंगी।
- **विज्ञान-आधारित दृष्टिकोण:** यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहले इस बात पर बल दिया था कि राज्यों को 1.5°C लक्ष्य के अनुरूप विज्ञान-आधारित उत्सर्जन लक्ष्य अपनाना चाहिए।
    - हालाँकि, यूरोपीय संघ के 2030 के लक्ष्य सर्वोत्तम उपलब्ध जलवायु विज्ञान से प्राप्त नहीं थे, एक बिंदु जिस पर आयोग ने अपने बचाव में विवाद नहीं किया है।
- **आंतरिक समीक्षा के लिए अनुरोध:** अगस्त 2023 में, GLAN और CAN-यूरोप ने यूरोपीय आयोग द्वारा व्यक्तिगत सदस्य राज्यों के लिए निर्धारित वार्षिक उत्सर्जन आवंटन (AEA) के संबंध में आंतरिक समीक्षा (RIR) के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया।
    - दुर्भाग्यवश, आयोग ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 27 फरवरी, 2024 को कानूनी मामला दायर किया गया।

तात्कालिकता

- **जलवायु संकट:** जलवायु संकट की गंभीरता को देखते हुए, न्यायलय ने इस मामले को प्राथमिकता का दर्जा दिया है तथा इसकी सुनवाई 2025 में निर्धारित की है।
    - AEAs यूरोपीय संघ के प्रयास-साझाकरण विनियमन द्वारा कवर किए गए उत्सर्जन से संबंधित है, जो परिवहन, भवन, कृषि, लघु उद्योग और अपशिष्ट जैसे क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करता है।
- **वैज्ञानिक आकलन का अभाव:** कानूनी चुनौती का मूल कारण वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए आवश्यक उत्सर्जन कटौती का उचित वैज्ञानिक आकलन करने में यूरोपीय संघ की विफलता है।
    - वर्तमान में निर्धारित लक्ष्य अपर्याप्त माने जा रहे हैं और यदि सभी देश इसी तरह का रास्ता अपनाएंगे तो 2100 तक 3°C की विनाशकारी वृद्धि हो सकती है।

संभावित जोखिम

- **उत्सर्जन में कमी लाने की महत्वाकांक्षा को बढ़ाना:** यदि यह कानूनी चुनौती सफल रही, तो यह यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों को उत्सर्जन में कमी लाने की अपनी महत्वाकांक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है।

- पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यूरोपीय संघ के पर्यावरण नियमों के साथ सामंजस्य बिठाना महत्वपूर्ण है।

- **वैश्विक प्रभाव:** यूरोपीय संघ की कार्रवाइयां वैश्विक स्तर पर मायने रखती हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक और एक प्रमुख उत्सर्जक के रूप में, आक्रामक जलवायु लक्ष्यों के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता अन्य देशों को एक शक्तिशाली संकेत भेजती है।

Source: DTE

एंजाइम विनिर्माण से इथेनॉल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा

समाचार में

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग इथेनॉल उत्पादन को समर्थन देने के लिए एंजाइम-निर्माण सुविधाएं स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

परिचय

- पहला संयंत्र हरियाणा के मानेसर में स्थापित किया जा सकता है।
- यह सुविधा मथुरा (उत्तर प्रदेश), भटिंडा (पंजाब) और पानीपत में वर्तमान संयंत्र में 2जी बायोएथेनॉल संयंत्रों को एंजाइम की आपूर्ति करेगी।

क्या आप जानते हैं ?

- एंजाइम आनुवंशिक रूप से इंजीनियर कवक, पेनिसिलियम फ्यूनोकुलोसम से प्राप्त होते हैं।
- पराली को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम, वर्तमान में आयात किए जाते हैं और महंगे हैं।
- स्थानीय रूप से विकसित एंजाइमों का उपयोग करने से आयातित एंजाइमों की तुलना में लागत में लगभग दो-तिहाई की कमी आ सकती है।

इथेनॉल उत्पादन:

- इथेनॉल एक कृषि उपोत्पाद है जो मुख्य रूप से गन्ने से चीनी बनाने के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है, लेकिन चावल की भूसी या मक्का जैसे अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होता है।
- भारत की कुल इथेनॉल उत्पादन क्षमता वर्तमान में 1,589 करोड़ लीटर है।

Focus:

- वर्तमान में खाद्यान्न और गन्ने से प्राप्त प्रथम पीढ़ी (1G) इथेनॉल पर बल दिया जा रहा है।
- खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए द्वितीय पीढ़ी (2G) और तृतीय पीढ़ी (3G) इथेनॉल में विविधता लाने की मांग की जा रही है।
  - 2G बायोएथेनॉल का उत्पादन चावल के भूसे जैसे कृषि अपशिष्ट से किया जाता है, जबकि पारंपरिक इथेनॉल गुड़ से बनाया जाता है।
  - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत में 2जी इथेनॉल संयंत्र संचालित करता है, जिसमें फीडस्टॉक के रूप में चावल के ठूंठ का उपयोग किया जाता है।

इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य:

- भारत में इथेनॉल मिश्रण जुलाई 2024 तक 13.3% तक पहुँच जाएगा, जो 2022-23 सीज़न के दौरान 12.6% था।
- केंद्र सरकार का लक्ष्य 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण दर को वर्तमान 13% से बढ़ाकर 20% करना है।

महत्त्व

- इथेनॉल के उत्पादन से पेट्रोलियम या कच्चे तेल के आयात में आनुपातिक कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के लिए विदेशी मुद्रा की बचत हुई है
  - **भारत के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने 2014 से अब तक 99,014 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की है**
- इथेनॉल उत्पादन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया है, रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और आजीविका में सुधार किया है।
- इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिशेष फसलों और क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का उपयोग करके, किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत मिल गया है।

पहल

- भारत सरकार पूरे देश में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) लागू कर रही है, जिसके तहत तेल विपणन कंपनियाँ (OMC) इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं।
- सरकार ने नवंबर से शुरू होने वाले इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के लिए गन्ने के रस, बी-हैवी और सी-हैवी गुड़ से इथेनॉल उत्पादन पर प्रतिबंध हटा दिया है।

चिंताएं:

- भारत और ब्राजील जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना अधिक कुशल है।
  - हालाँकि, गहन गन्ने की खेती से पर्यावरणीय और खाद्य उत्पादन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- मक्के के बढ़ते आयात और इथेनॉल उत्पादन के लिए इसके उपयोग से खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

राज्य-स्तरीय मतभेद:

- इथेनॉल नीतियों पर राज्यों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं और प्रभाव होते हैं। उदाहरण के लिए:
  - उत्तर प्रदेश इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में एक प्रमुख योगदानकर्ता है और केंद्र सरकार के इथेनॉल मिशन का समर्थन करता है।
  - तमिलनाडु अपने शराब बाजार और पानी की चिंताओं के कारण इथेनॉल के बारे में सतर्क है, और वैकल्पिक फीडस्टॉक के रूप में मक्का को प्राथमिकता देता है।
  - महाराष्ट्र को इथेनॉल मिश्रण के बजाय अन्य उपयोगों के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) का उत्पादन करने में अधिक लाभ मिलता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत को इथेनॉल लक्ष्य को पूरा करने और खाद्य मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के बीच दुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
    - विकल्पों में इथेनॉल लक्ष्य पर पुनर्विचार करना, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करना और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना सम्मिलित है।
- भविष्य की नीतियों में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ सहयोग सम्मिलित होना चाहिए।
    - इसे तत्काल लाभ की अपेक्षा करने के बजाय, सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए निरंतर वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

म्यूनिख समझौता

सन्दर्भ

- 1 सितम्बर 1939 को जर्मन सैनिकों ने पोलैंड में प्रवेश किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तथा विश्व के सामने म्यूनिख समझौते की मूर्खता प्रकट हो गई, जिस पर एक वर्ष से भी कम समय पहले हस्ताक्षर किए गए थे।

म्यूनिख समझौते के बारे में

- 29-30 सितंबर, 1938 को म्यूनिख में एक समझौता हुआ - जिसके यूरोप और विश्व के लिए दूरगामी परिणाम होंगे।
- यह यूरोप में बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में उभरा।
- नाजी जर्मनी के नेता एडॉल्फ हिटलर ने सुडेटेनलैंड पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं - चेकोस्लोवाकिया का एक क्षेत्र जिसमें जर्मन भाषी जनसँख्या अत्यंत अधिक थी। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य के पतन के बाद स्वयं को चेकोस्लोवाकिया का भाग पाए जाने वाले सुडेटेन जर्मन 'ग्रेटर जर्मनी' का भाग बनने कोशिश कर रहे थे।

मुख्य खिलाड़ी

- **नाजी जर्मनी:** हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने क्षेत्रीय विस्तार की मांग की।
- **यूनाइटेड किंगडम:** प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जो युद्ध को रोकने के साधन के रूप में तुष्टिकरण में विश्वास करते थे।
- **फ्रांस:** फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडौर्ड दलादियर ने वार्ता में भाग लिया।
- **इटली:** इटली के प्रधानमंत्री बेनिटो मुसोलिनी ने भी वार्ता में भाग लिया।

डील

- म्यूनिख समझौते ने जर्मनी को सुडेटेनलैंड पर नियंत्रण करने की अनुमति दी, जहाँ तीन मिलियन से अधिक जातीय जर्मन रहते थे।
- **तुष्टिकरण कूटनीति:** संघर्ष से बचने के लिए उत्सुक चेम्बरलेन ने म्यूनिख में हिटलर से मुलाकात की।
  - यह समझौता एक इतालवी प्रस्ताव पर आधारित था: जर्मनी को सुडेटेनलैंड पर नियंत्रण प्राप्त होगा, और बदले में, हिटलर ने आगे क्षेत्रीय विस्तार नहीं करने का वादा किया।
- **चेकोस्लोवाकिया की दुविधा:** चेकोस्लोवाकिया सरकार आधिकारिक तौर पर वार्ता का हिस्सा नहीं थी।
  - ब्रिटेन और फ्रांस के दबाव में वे अनिच्छा से इस समझौते पर सहमत हो गये।

परिणाम और सीख

- **झूठी सुरक्षा:** म्यूनिख समझौते को शांति की जीत के रूप में सराहा गया, लेकिन यह भ्रामक साबित हुआ। हिटलर की महत्वाकांक्षाएँ सुडेटेनलैंड से आगे निकल गईं।
- **युद्ध की आशंका:** एक वर्ष के अंदर, नाजी जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्सों पर आक्रमण कर दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई।
- **ऐतिहासिक निर्णय:** म्यूनिख समझौता तुष्टिकरण के खतरों का एक कठोर सबक है। विस्तारवादी शासन को खुश करने से शायद ही कभी स्थायी शांति मिलती है।

Source: IE

नामिबिया

समाचार में

- नामीबिया एक सदी के सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है, जो अल नीनो के कारण और भी बदतर हो गया है।

स्थिति

- खाद्य उपलब्धता बहुत कम है; मुख्य फसलें और पशुधन नष्ट हो गए हैं।
- लगभग 1.2 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा के उच्च स्तर का सामना कर रहे हैं।
- इसलिए, सरकार मांस उपलब्ध कराने के लिए 723 जंगली जानवरों (हाथी, दरियाई घोड़े, भैंस, इम्पाला, ब्लू वाइल्डबीस्ट, ज़ेबरा और एलैंड सहित) को मारने की योजना बना रही है।

नामीबिया के बारे में

- नामीबिया गणराज्य अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित है और इसकी सीमा उत्तर में अंगोला और जाम्बिया, दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य और पूर्व में बोत्सवाना से लगती है।
- नामीबियाई भूदृश्य में सामान्यतः पांच भौगोलिक क्षेत्र

सम्मिलित हैं, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट अजैविक स्थितियां और वनस्पतियां हैं, तथा उनके अंदर कुछ भिन्नताएं और उनके बीच अतिव्यापन है: केंद्रीय पठार, नामीब रेगिस्तान, ढलान, बुशवेल्ड और कालाहारी रेगिस्तान।

- पर्वत – ब्रांडबर्ग (2,573 मीटर की ऊंचाई के साथ), स्पिट्जकोप्पे, मोल्टेब्लिक, गैम्सबर्ग।
- **नदियाँ - ऑरेंज, कुनेने, ओकावांगो, ज़म्बेजी।**

Source:IE

भारत में 1901 के बाद सबसे गर्म अगस्त दर्ज किया गया

सन्दर्भ

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि भारत में 1901 के बाद से यह सबसे गर्म अगस्त महीना दर्ज किया गया।

परिचय

- अगस्त में अखिल भारतीय औसत मासिक न्यूनतम तापमान 24.29 डिग्री सेल्सियस के सर्वकालिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया।
- सामान्य तापमान 23.68 डिग्री सेल्सियस है।
- अगस्त के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई, लेकिन लगातार बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चला गया। अगस्त में अखिल भारतीय वर्षा 15.3 प्रतिशत अधिक रही।
  - यह 2019 के बाद से देश में अगस्त में दूसरी सबसे अधिक वर्षा थी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

- इसकी स्थापना 1875 में हुई थी।
- यह मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन है।

Source: IE

दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024

सन्दर्भ

- दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत नियमों का पहला सेट, 'दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024' अधिसूचित किया।

परिचय

- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत बनाए गए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष को दूरसंचार अधिनियम, 2024 के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि के रूप में पुनः नामित किया गया है।
- इसमें प्रावधान है कि डिजिटल भारत निधि से धनराशि को वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने तथा समाज के वंचित समूहों के लिए परियोजनाओं को आवंटित किया जाएगा।

दूरसंचार नियम, 2024

- नियम प्रशासक की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करते हैं, जो डिजिटल भारत निधि के कार्यान्वयन और प्रशासन की देख-रेख के लिए उत्तरदायी होंगे।
- दूरसंचार नेटवर्क के संचालन के लिए डिजिटल भारत निधि से धन प्राप्त करने वाले कार्यान्वयनकर्ता को ऐसे नेटवर्क/सेवाओं को खुले और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर उपलब्ध कराना होगा।
- नियम डिजिटल भारत निधि के तहत योजनाओं और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मानदंड और कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए चयन प्रक्रिया भी प्रदान करते हैं।

योजनाएं और परियोजनाएं शुरू करने के लिए मानदंड

- इनमें दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए परियोजनाएं सम्मिलित हैं, जिनमें मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं तथा दूरसंचार सेवाओं की डिलीवरी के लिए आवश्यक दूरसंचार उपकरण सम्मिलित हैं;
- अल्पसुविधा प्राप्त ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की शुरूआत;
- नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना; तथा नियामक सैंडबॉक्स के निर्माण सहित स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और संबंधित बौद्धिक संपदा का व्यावसायीकरण,
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रासंगिक मानकों का विकास और स्थापना करना
- क्षमता निर्माण और विकास के लिए शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्ट-अप और उद्योग के बीच एक सेतु बनाना; और
- दूरसंचार क्षेत्र में टिकाऊ और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

Source: PIB

वधवान बंदरगाह

समाचार में

- प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी

बंदरगाह के बारे में

- महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के सहयोग से JNPA ने वधवन बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव रखा।
- यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। इस परियोजना पर लगभग 76,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस बंदरगाह का विकास लैंडलॉर्ड पोर्ट के आधार पर किया जाएगा।
- लैंडलॉर्ड मॉडल में, निजी खिलाड़ी परिचालन संबंधी पहलुओं को संभालते हैं, जबकि बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक और लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करता है।
- **क्षमता:** 23.2 मिलियन ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स (TEUs) की हैंडलिंग क्षमता के साथ, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होने की उम्मीद है।

- **कार्यक्षमता:** बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने, गहरे ड्राफ्ट की पेशकश करने और अल्ट्रा-बड़े कार्गो जहाजों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

महत्त्व

- यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों जैसे: अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करके पारगमन समय और लागत को काफी कम कर देगा।
- इसके अलावा, बंदरगाह से महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न होने, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने की उम्मीद है।

Source:TH

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

सन्दर्भ

- हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 'आपका बैंक, आपके दरवाजे' को बढ़ावा देकर अपने 6 वर्ष के सफर में विभिन्न नए आयाम स्थापित किए हैं।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के बारे में

यह संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग का एक उपक्रम है, जिसे 2018 में देश भर में लॉन्च किया गया।

- इसकी स्थापना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया में योगदान देने के मिशन के साथ की गई थी और यह ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई है।

अंतिम स्थान तक को सशक्त बनाना

- IPPB समाज के सबसे अधिक आर्थिक रूप से वंचित और कमजोर वर्गों को लक्षित करता है।
- डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक मोबाइल बैंकों के रूप में कार्य करते हैं, जो 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार नामांकन जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं; CELC सेवा के माध्यम से मोबाइल अपडेट; डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र; प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT); आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली; बिल भुगतान; बीमा सेवाएँ (वाहन, स्वास्थ्य, दुर्घटना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना); सुकन्या, आरडी, पीपीएफ और डाक जीवन बीमा में ऑनलाइन जमा।
- **महिला सशक्तिकरण:** IPPB के उल्लेखनीय 44% ग्राहक महिलाएँ हैं, जो वित्तीय सेवाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

Source: PIB

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का नियम 170।

सन्दर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने आयुष मंत्रालय की उस अधिसूचना की आलोचना की, जिसमें राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियम 170 के तहत कोई कार्रवाई शुरू न करने को कहा गया था।

परिचय

- 2018 में, सरकार ने देश में दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए नियम 170 लाया, विशेष रूप से आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के अनुचित विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए।
- यह नियम आयुष दवा निर्माताओं को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमोदन और एक विशिष्ट पहचान संख्या के आवंटन के बिना अपने उत्पादों का विज्ञापन करने से रोकता है।
    - निर्माताओं को दवा के लिए प्रामाणिक पुस्तकों से पाठ्य संदर्भ और औचित्य, उपयोग के संकेत, सुरक्षा, प्रभावशीलता और दवा की गुणवत्ता के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
- यह नियम संसद की एक स्थायी समिति द्वारा भ्रामक दावों की समस्या को उजागर करने तथा आयुष मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे पर सक्रियता से कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिए जाने के बाद लागू किया गया।

Source: IE

■■■■